(6)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/308

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रायथल जिला बून्दी राज.

– अपीलांट

बनाम

1. लाखा पुत्र उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज. मृतक
   1/1 धन्नी पत्नी लाखा गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/2 दुर्गालाल पुत्र लाखा गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/2/1 रूपेश पिता दुर्गालाल जाति गूर्जर
   1/2/2 पुजा पुत्री दुर्गालाल जाति गूर्जर
   1/2/3 सलोचना पुत्री दुर्गालाल जाति गूर्जर
   1/2/4 उर्मिला बाई पत्नी दुर्गालाल गूर्जर निवासीगण गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/3 उर्मिला बाई पत्नी दुर्गालाल जाति गूर्जर निवासीगण गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
2. गोपाल आ. उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
3. छोटा आ. उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपस्थित प्रवक्त बहस–1. श्री भंवरलाल गूर्जर, पैरोकार सरकार अपीलांट की ओर से ।
2. महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1/1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 28.08.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 257/2002 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

(7)

अपील संख्या 2024/308

सरकार बनाम लाखा मृतक जर्ये का.मु. धन्नी वगै.

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 263 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा संख्या 264 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम गुवाड़ी तहसील व जिला बून्दी राज० में स्थित हैं। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055 में खतौनी संख्या 73 पर सरकार खातेदार लक्खा, गोपाल, छोटा पिसरान उदा कौम गूजर साकिन देह शिकमी दर्ज हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि लगभग 70 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता उदा आत्मज गोमदा गूजर निवासी गुवाड़ी ने पड़त से फाड़कर आबाद की थी और मेहनत करके कृषि योग्य उपजाऊ भूमि बनाया था तब से निरन्तर स्व० उदा जीवन पर्यन्त तथा वादीगण स्व० उदा जी के जीवनकाल से अब तक उक्त कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उदा जी का लगभग 40 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया हैं। वादीगण ही स्व० उदा जी के पुत्र एवं उत्तराधिकारी हैं। राजस्व अभिलेखों में खातेदार के स्थान पर वादीगण के नाम के आगे अंकित शिकमी काश्तकार की कोई श्रेणी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में परिभाषित नहीं की गई हैं। जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 में स्व० उदा को गेरखातेदार कृषक दर्ज किया हुआ था किन्तु बाद की जमाबंदी में अकारण ही गैरखातेदार शब्द हटा दिया गया हैं वैधानिक रूप से वादीगण अब तक भूमि का लगान देते चले आने और भूमिधारी राज्य सरकार द्वारा वादीगण से भूमि का लगान प्राप्त करने के कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि के वैधानिक खातेदार बन चुके हैं और अब राज्य सरकार वादीगण को खातेदार स्वीकार करने के लिये प्रतिबंधित हैं। वादीगण का वंशक्रमानुसार पूर्वजो के समय से 70 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर स्वतंत्र रूप से स्वयं को खातेदार प्रकट करते हुए कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। इस कारण राज्य सरकार का वादीगण से इस भूमि को वापस प्राप्त करने का अधिकार सदैव के लिए अवधि बाधित होकर समाप्त हो चुका हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण स्वयं को खातेदार प्रकट करते हुए 30 वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर स्वतंत्र रूप से काबिज काश्त चले आने के कारण कब्जा मुखालफाना द्वारा भी वैधानिक खातेदार बन चुके हैं। वादीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि स्वयं को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित करवाकर राजस्व अभिलेखो में स्वयं को खातेदार अंकित करवायें। प्रतिवादी राज्य सरकार वादीगण से भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं किन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारी वादीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी देते हैं, जिसका उन्हें अधिकार नहीं हैं। यदि वादीगण को वादग्रस्त भूमि के बेदखल कर दिया जावेगा तो वादीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को अनेक बार आग्रह किये जाने पर भी वादीगण को खातेदार अंकित नहीं किया हैं, इस कारण राज्य सरकार को अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० पंजीकृत नोटिस दिनांक 19.06.1998 को दिया गया, जिसकी अवधि दिनांक 20.08.1998 को समाप्त हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। यही वादोत्पत्ति का कारण हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को कृषि भूमि खसरा संख्या 263 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा तथा खसरा संख्या 264 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम गुवाड़ी का खातेदार घोषित किया जावें एवं राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावें। खातेदार के स्थान पर से राज्य सरकार का नाम विलोपित किया जावें। राजस्थान राजय को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करें। अन्य न्यायोचित सुविधा प्रदान की जावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2021 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गुवाडी तहसील व जिला बून्दी की खसरा सख्या 263 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा संख्या 264 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा पर दर्ज सरकार खातेदार व शिकमी को विलोपित कर वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.04.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.04.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.04.2021 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गईं। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जैक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

अपील संख्या 2024/308
सरकार बनाम लाखा मृतक जर्ये का.मु. धन्नी वगै.

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित विषयवस्तु कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम शिकमी दर्ज है, तथा शिकमी काश्तकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 (1) के परन्तुक के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त नही होने के बावजुद अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.4.2021 को उक्त वाद स्वीकार कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। उपखण्ड न्यायालय बून्दी के द्वारा पारित निर्णयो की समीक्षा के दौरान उक्त शीर्षक प्रकरण के निर्णय मे अनियमियता पाये जाने पर माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय के द्वारा अपील पेश करने के निर्देश प्राप्त होने के बाद उक्त सन्दर्भ मे कानूनी परामर्श कर अन्दर अवधि अपील पेश की गई है, इसलिये दिनांक 26.4.2021 से अब तक की देरी को क्षमा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रकरण का निर्णय गुण व अवगुण के आधार पर होना कानूनन आवश्यक है, इसलिये नैसर्गिक न्याय के नियमो की पालना के अनुक्रम में देरी को क्षमा किया जाना बहुत जरूरी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील देरीना को क्षमा किये जाने की आज्ञा फरमावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। पत्रावली पर प्राप्त तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2021 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय वाद के तथ्य परिस्थितियो साक्ष्य तथा जवाब दावा में अंकित कथनो एवं कानूनी प्रावधानो की अनदेखी कर जल्दबाजी मे उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वाद मे कुल चार तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, विचारण न्यायालय के द्वारा तनकी संख्या 1, 3, 4 वादी के पक्ष मे तथा तनकी संख्या 2 वादी के विपक्ष में निर्णित की गई है, जबकि वादीगण के वाद का मुल आधार ही तनकी संख्या 2 ही है, इसके बावजूद तनकी संख्या 2 के निर्णय की परवाह नही करते हुये मात्र तनकी संख्या

1, 3, 4 मे पारित मत को आधार मानते हुये उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे शिकमी काश्तकार को परिभाषित नही किये जाने मात्र से रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमियो मे स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नही होते है, तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आधार पर वादी रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया जाना विधिक प्रावधानो तथा कानूनी प्रक्रियाओ के विपरित है जबकि शिकमी शब्द का अर्थ किरायेदार होता है, जो एक निश्चित धन राशि के प्रतिफल के रूप मे एक निर्धारित अवधि तक सम्बंधित सम्पति का शिकमी के द्वारा उपयोग, उपभोग किया जा सकता है, इस प्रकार शिकमी शब्द की विचारण न्यायालय के द्वारा गलत व्याख्याता कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो खारिज होने योग्य है। शिकमी की हैसियत एक किरायेदार की है। वादग्रस्त आराजी चम्बल क्षेत्र में स्थित है तथा चम्बल क्षेत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 लागू नहीं होने से रेस्पोडेन्ट उक्त धारा 15 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने के अधिकारी नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (1) के परन्तुक के अनुसार उक्त वाद पोषणीय नही होने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना कानूनी प्रावधानो का वाईलेंस है तथा उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। "मे प्रावधानित है कि कोई खातेदारी अधिकार इस धारा के अन्तर्गत ऐसे किसी यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(1) के परन्तुक आसामी को अर्जित नही होगे, जिसे गंग केनाल, भाखडा, चम्बल अथवा जवाई प्रोजेक्ट क्षेत्र या इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किसी अन्य क्षेत्र मे अस्थायी तौर पर भूमि पट्टे पर दी जावे अथवा दे दी गई हो।" इस प्रकार विवादित भूमियो मे वादी रेस्पोडेन्ट की हैसियत मात्र पट्टेदार की ही रही है, तथा विधिक रूप से वादीगण को उक्त भूमियो मे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार नहीं होने के बावजुद उक्त निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो खारिज होने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, लगायत 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्टगण का नाम बतौर शिकमी दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता उदा आत्मज गोमदा ने पड़त से फाड़कर आबाद की है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण का उनके पिता उदा के समय से विगत 70 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में उदा को सम्वत् 2020 से 2023 में गैर खातेदार

घोषित किया गया परन्तु बाद की जमाबंदी में अकारण ही गैर खातेदार शब्द हटा दिया गया है। वादीगण भूमिधारी राज्य सरकार को निरन्तर लगान अदा करते चले आ रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.2021 में प्रत्येक तनकी पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.04.2021 अपीलांट की उपस्थिति में ही पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2021 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया । अपीलांट का कथन है कि संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपील पेश करने के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात अपील पेश की गई है। हस्तगत प्रकरण सरकारी भूमि के सम्बंध में खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने से संबंधित है जिसका गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः हस्तगत अपील में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गुवाडी तहसील व जिला बून्दी की खसरा संख्या 263 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा संख्या 264 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित राज्य सरकार का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055 एवं प्रदर्श–5 जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2028 से 2057 के अनुसार ग्राम गुवाडी तहसील व जिला बून्दी की खाता संख्या 73 की खसरा संख्या 263 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 264 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि सरकार खातेदार लक्खा, गोपाल, छोटा पि. उदा कोम गूजर सा.देह शिकमी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 के अनुसार ग्राम गुवाडी तहसील व जिला बून्दी की खसरा नम्बर 189 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि उदा वल्द गोमदा की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–10 खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय सम्वत् 2010 से 2013 के अनुसार खातेदार के कॉलम संख्या 5 में सरकार उदा वल्द गोमदा का नाम अंकित है। प्रदर्श–9 खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय सम्वत् 2017 से 2020 के अनुसार खातेदार के कॉलम संख्या 37 में सरकार उदा वल्द गोमदा का नाम अंकित है तथा गोमदा, रामनारायण, गिरधारी मीणा का नाम जोता के रूप में अंकित है। प्रदर्श–8 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007 के कॉलम संख्या 18 व 19 में उदा वल्द गोमदा गूजर सा.देह नौतोड़ दर्ज है। प्रदर्श–7 भू–प्रबन्ध सम्वत् 2028 से 2047 के अनुसार गत खसरा नम्बर 189मि. रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 263 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा तथा

गत खसरा नम्बर 189मि. रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 264 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा बने होना अंकित है। प्रदर्श–11 लगायत प्रदर्श–39 रसीदें है। प्रदर्श–2 नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी., प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 पावती रसीदें है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने वादपत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए प्रस्तुत किए गए जवाबदावे में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सरकारी डोली है, वादग्रस्त आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण का कोई कब्जा नहीं है, वादग्रस्त आराजी वादीगण की आवंटनशुदा भूमि नहीं है तथा वादग्रस्त आराजी पर सरकार कीमतन काश्त करवाती है, वादग्रस्त आराजी उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि है जिसे सार्वजनिक निलामी द्वारा ही कय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे में प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने वादग्रस्त आराजी से वादीगण रेस्पोडेन्टगण को बेदखल किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पूर्वज उदा का नाम शिकमी की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड रहा है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी में उसका हक अधिकार होना तथा उसकी हैसियत बतौर खातेदार होना प्रमाणित होता हो। वादपत्र की चरण संख्या 5 में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को निरन्तर 30 वर्ष से अधिक अवधि से काबिज काश्त होने के कारण कब्जा मुखालफाना के आधार पर स्वयं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार हो जाने का कथन किया है। अतः वादीगण द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादग्रस्त भूमि के हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है परन्तु वर्तमान विधि के अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। कब्जा मुखालफाना के सम्बंध माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.आर.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यू.एल.एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए है जिनके अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना माना गया है। अतः वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही वादीगण द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में खसरा सम्वत् 2017 से 2020 तक की खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है जिसमें केवल उदा अथवा उसके पिता गोमदा का नाम अंकित नहीं होकर गोमदा, रामनारायण व गिरधारी मीणा का नाम जोता के रूप में अंकित है। सम्वत् 2020 के पश्चात की कोई खसरा गिरदावरी वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने हमारे समक्ष पेश नहीं की है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वादग्रस्त आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्ट का निरन्तर कब्जा काश्त होने के समर्थन में पर्याप्त नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी पर स्वयं

का निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित करने में असफल रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका वादग्रस्त आराजी में कानूनन हक अधिकार निहित होना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त आराजी में स्वयं के अधिकारों को दस्तावेजी प्रमाणित करनें असफल रहे है अतः वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व धारा 19 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी को वादीगण रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 257/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 निरस्त की जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/8/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(B)

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024/308

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रायथल जिला बून्दी राज.

– अपीलांट

बनाम

1. लाखा पुत्र उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज. मृतक
   1/1 धन्नी पत्नी लाखा गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/2 दुर्गालाल पुत्र लाखा गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/2/1 रूपेश पिता दुर्गालाल जाति गूर्जर
   1/2/2 पुजा पुत्री दुर्गालाल जाति गूर्जर
   1/2/3 सलोचना पुत्री दुर्गालाल जाति गूर्जर
   1/2/4 उर्मिला बाई पत्नी दुर्गालाल गूर्जर निवासीगण गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/3 उर्मिला बाई पत्नी दुर्गालाल जाति गूर्जर निवासीगण गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
2. गोपाल आ. उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
3. छोटा आ. उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.

–रेस्पोडेन्टगण

संख्याः 257/2002

1. लाखा पुत्र उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज. मृतक
   1/1 धन्नी पत्नी लाखा गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/2 दुर्गालाल पुत्र लाखा गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
   1/3 श्योजी पिसरान लाखा जातियान गूजर निवासीगण गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झौपड़ा तहसील व जिला बून्दी राज0
2. गोपाल आ. उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.
3. छोटा आ. उदा जाति गूर्जर निवासी गुवाडी हाल भैरूपुरा औझा का झोपडा तहसील रायथल जिला बून्दी राज.

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 257/2002 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 26.04.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 28.08.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री भवंरलाल गूर्जर तथा रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1/1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री महेश शर्मा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 257/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2025 निरस्त की जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 28.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/8/25

(मुकेश [illegible]ार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा